राजस्व प्रार्थना पत्र 36/2019
जीसीएमएसम नंबर 2019/00130
परसाराम वगैरह बनाम् सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 36/2019

प्रार्थी–

1. परसाराम पुत्र मोहनराम
2. बद्रीराम पुत्र मोहनराम जातियान– नायक
   निवासी– डेह, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री जीयाराम गोदारा
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय

दिनांक :– 18/05/2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता वास्तविक नाम मोहनराम पुत्र रूघाराम ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा डेह तहसील जायल के सम्वत् 2071–2074 खतौनी सं. 1059 के खसरा नम्बर 126/14 रकबा 11.13 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनराम पुत्र जस्साराम कौम नायक सा देह खातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण के पिता मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2012 में मोहनाराम पुत्र रूघाराम नायक, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/105766 मोहनराम पुत्र रूघाराम, अज अदालत तहसीलदार जायल के नोटिस दिनांक 15.10.1985 की फोटो प्रति, सम्वत् 2023 राजस्थान सरकार के रसदी संख्या 48830 मे प्रार्थी का सही नाम मोहना पुत्र रूघा दर्ज हैं। प्रार्थीगण के पिता खातेदार मोहनराम का देहान्त दिनांक 20.12.20121 को हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता मोहनराम के जीवनकाल में उक्त खेत की खतौनी में मोहनराम के पिता का नाम रूघाराम के स्थान पर जस्साराम सहवन से दर्ज हो गया। प्रार्थीगण के पिता के फौत होने के पश्चात् फौतगी नामान्तकरण अभी तक नहीं हो सका है। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक 3675 दिनांक 04.12.2019 को मय हल्का पटवारी डेह की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम ऑनलाईन जमांबदी संम्वत

18/05/2022

2071—2074 स्थायी में मोहनराम पुत्र रूघाराम कौम नायक सा. देह खातेदार दर्ज है। जबकि प्रार्थी खाता संख्या 1059 खसरा नंबर 126 / 14 रकबा 11.13 बीघा में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता के अन्य दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2012 में मोहनाराम पुत्र रूघाराम नायक , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 105766 मोहनराम पुत्र रूघाराम, अज अदालत तहसीलदार जायल के नोटिस दिनांक 15.10.1985 की फोटो प्रति, सम्वत् 2023 राजस्थान सरकार के रसदी संख्या 48830 मे प्रार्थी का सही नाम मोहना पुत्र रूघा दर्ज हैं। उपस्थित मौतबिरानों ने प्रार्थीगण के पिता मोहनराम पुत्र जस्साराम तथा मोहनराम पुत्र रूघाराम दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया। मोहनराम पुत्र जस्साराम जाति नायक निवासी डेह नाम को कोई अन्य व्यक्ति ग्राम डेह में नहीं था व नहीं हैं।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी डेह तहसील जायल की रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डेह दिनांक 05.09.2013 में मोहनाराम पुत्र रूघाराम नायक , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 105766 मोहनराम पुत्र रूघाराम, अज अदालत तहसीलदार जायल के नोटिस दिनांक 15.10.1985 की फोटो प्रति, सम्वत् 2023 राजस्थान सरकार के रसदी संख्या 48830 मे प्रार्थी का सही नाम मोहना पुत्र रूघा दर्ज हैं तथा नकल खतौनी सम्वत् 2071—2074 खाता संख्या 1059, साक्ष्य गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र बद्रीराम पुत्र मोहनराम के पेश हुवे। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम डेह के खतौनी सं. 1059 में अंकित खसरा नं. 126 / 14 में प्रार्थीगण के पिता का नाम जस्साराम के स्थान पर रूघाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज ग्राम डेह तहसील जायल के खतौनी सं. 1059 में वर्णित खसरान की भूमि जो कि प्रार्थीगण के पिता के पुश्तैनी बडेर की भूमि की है जिसमें प्रार्थीगण के पिता खातेदार के रूप में दर्ज है। साक्ष्य गवाह के रूप में साक्ष्य शपथ पत्र बद्रीराम पुत्र मोहनराम के पत्रावली शामिल मिसल है तथा इसी प्रकार मृत्यू प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2012 में मोहनाराम पुत्र रूघाराम नायक , मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे / 02 / 192 / 105766 मोहनराम पुत्र रूघाराम, अज अदालत तहसीलदार जायल के नोटिस दिनांक 15.10.1985 की फोटो प्रति, सम्वत् 2023 राजस्थान सरकार के रसदी संख्या 48830 की फोटो प्रतियों मे प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मोहना पुत्र रूघा दर्ज हैं। मोहनराम पुत्र जस्साराम व मोहनराम पुत्र रूघाराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तहसीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जो कि जमाबंदी में मोहनराम पुत्र रूघाराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र जसाराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थीगण के पिता का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि मोहनराम पुत्र रूघाराम एवं मोहनराम पुत्र जस्साराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88 आरटी एक्ट, धारा 136 एलआर एक्ट का मानते हुये मोहनराम पुत्र जस्साराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र रूघाराम का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 1059 के वर्णित खसरान् 126/14 रकबा 126/14 में दर्ज खातेदार नाम मोहनराम पुत्र जस्साराम के स्थान पर वास्तविक नाम मोहनराम पुत्र रूघाराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आरटी एक्ट 1955 की धारा 88 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम डेह तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 1059 खसरान. 126/14 में दर्ज नाम मोहनराम पुत्र जस्साराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र रूघाराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

18/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल